

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

क्रमांक :- विविध/2023/511

दिनांक : 08/12/23

आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4(2) एवं तत्कालीन निरीक्षण न्यायाधिपति के निर्देश दिनांक 04.05.2011 के मुताबिक कोटा मुख्यालय से बाहर स्थित न्यायालयों हेतु निम्नलिखित अधिवक्तागण को वर्ष 2024 के लिये कमिशन पर बयान लेने हेतु कमिशनर नियुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	अभिभाषक का नाम	एनरोलमेन्ट नं०
रामगंजमण्डी मुख्यालय:-		
1	धीरज कुमार गुप्ता	R/1583/2005
2	जसवन्त सिंह चौधरी	R/2228/2008
3	परमानन्द अहीर	R/3648/2010
4	नन्द लाल भील	R/2346/2012
5	रोहित धाकड	R/2926/2023
सांगोद मुख्यालय:-		
1	नाथू लाल नागर	R/0735/1992
2	बाबू लाल अरविन्द	R/0026/1996
3	कृष्ण मुरारी नामा	R/0589/2000
कनवास मुख्यालय:-		
1	गिरिजानन्दन गौतम	R/0755/1994
2	महेश कुमार मालव	R/1351/1999
3	दुर्गाशंकर सुमन	R/3534/2018
इटावा मुख्यालय:-		
1	लेखराज प्रजापति	R/0990/2002
2	रामसिंह	R/1246/2003
3	प्रद्युम्न कुमार शर्मा	R/1579/2004
4	महावीर प्रसाद मित्तल	R/2307/2004
5	विकास पारेता	R/1708/2005
6	राधेश्याम नामा	R/1062/2006
7	धर्मेन्द्र कुमार शर्मा	R/1114/2009
8	नन्दकिशोर कुशवाहा	R/3900/2018
दीगोद मुख्यालय:-		
1	धनराज	R/2125/2010

- नोट- 01. संबंधित न्यायालय, सलेम बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (AIR 2003 S.C. 189) एवं सलेम बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (AIR 2005 S.C. 3353) में प्रतिपादित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए कमिशनर नियुक्ति करें।
02. कमिशनर की नियुक्ति रोटेशन के आधार पर की जावे।
03. प्रत्येक कमिशनर को, जिसे साक्षी के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण के लिये नियुक्त किया जाता है, साधारण नियम सिविल एवं क्रिमिनल 2018 के आदेश 20 नियम 43 (4) के अनुसार उक्त कार्य के लिये (प्रकरण के तथ्यों के अनुसार जो उचित हो) न्यूनतम पारिश्रमिक 200/- रुपये एवं अधिकतम 500/-रुपये देय होंगे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा

दिनांक : 8/12/23

क्रमांक:- विविध/2023/8500-8514

प्रतिलिपि:-

- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी, जिला-कोटा
- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांगोद/दीगोद/रामगंजमण्डी जिला-कोटा
- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास/दीगोद/इटावा/रामगंजमण्डी,
- अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, रामगंजमण्डी/सांगोद/दीगोद/कनवास/इटावा को प्रेषित कर निर्देश है कि वे नियुक्त आयुक्तों को उनकी प्रति अपने स्तर पर उपलब्ध करावें।
- प्रोटोकॉल ऑफिसर एवं प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा
- सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा अपलोड करने हेतु।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा